

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) का उनके कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित लेवल व विषय के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर यथावत समायोजन/पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. यह आदेश एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन है।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ.यथा-समायोजन/ले-1/2017/781 दिनांक: 29.05.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक-जि.शिक्षा/मा/बारां/संस्था-1/यथा-समायोजन/2017/786

दिनांक : 29.05.2017

क्र.सं.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-1
1	इन्दा जायसवाल	बारां	राबामावि पुरानाथाना बारां	राबामावि पुराना थाना बारां	बारां	F	02/04/1961	लेवल-1
2	कल्पना पाटनी	बारां	राबामावि पुरानाथाना बारां	राबामावि पुराना थाना बारां	बारां	F	02/04/1960	लेवल-1
3	कमलेश शर्मा	अन्ता	राबाउमावि मांगरोल	राबाउमावि मांगरोल	अन्ता	F	20/03/1970	लेवल-1
4	तुलसी मीणा	अन्ता	राबाउमावि मांगरोल	राबाउमावि मांगरोल	अन्ता	F	07/02/1971	लेवल-1
5	शम्भूदयाल वैष्णव	किशनगंज	बा.उ.मा.वि. किशनगंज	राबाउमावि किशनगंज	किशनगंज	M	10/04/1968	लेवल-1
6	सुशीला नैनानी	किशनगंज	बाउमावि भंवरगढ	राबाउमावि भंवरगढ	किशनगंज	F	07/08/1972	लेवल-1
7	कमलेश यादव	किशनगंज	बाउमावि भंवरगढ	राबाउमावि भंवरगढ	किशनगंज	F	05/05/1975	लेवल-1
8	निर्मला मेघवाल	छबडा	राबाउमावि छबडा	राबाउमावि छबडा	छबडा	F	10/06/1968	लेवल-1
9	अनुराधा सक्सेना	छबडा	राबाउमावि छबडा	राबाउमावि छबडा	छबडा	F	06/10/1963	लेवल-1
10	चन्द्रेश यादव	छीपाबडौद	राउमावि बंजारी	राउमावि बंजारी	छीपाबडौद	F	01/07/1979	लेवल-1
11	सोहिनी मेघवाल	बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	बारां	F	16/08/1966	लेवल-1
12	यास्मीन खान	बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	बारां	F	09/05/1970	लेवल-1
13	कृष्णा गुप्ता	बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	बारां	F	30/08/1964	लेवल-1
14	विजेन्द्र सिंह हाडा	अन्ता	राउमावि मांगरोल	राउमावि मांगरोल	अन्ता	M	28/07/1964	लेवल-1
15	श्रीमती राजेश गालव	अन्ता	राउमावि मांगरोल	राउमावि मांगरोल	अन्ता	F	07/06/1966	लेवल-1
16	रुकमणी प्रेमिक	अटरू	राउमावि मोठपुर	राउमावि मोठपुर	अटरू	F	05/05/1965	लेवल-1
17	सुधीर कुमार भाटिया	अन्ता	राउमावि रातडिया	राउमावि रातडिया	अन्ता	M	04/05/1967	लेवल-1
18	गायत्री पंकज	अन्ता	राउमावि रातडिया	राउमावि रातडिया	अन्ता	F	02/02/1972	लेवल-1
19	विष्णु नामा	अन्ता	राउमावि सीसवाली	राउमावि सीसवाली	अन्ता	M	04/07/1972	लेवल-1
20	रमेश यादव	अन्ता	राउमावि सीसवाली	राउमावि सीसवाली	अन्ता	M	05/06/1965	लेवल-1
21	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	बारां	रा.उ.मा.वि. स्टेशनरोड बारां	राउमावि स्टे. रोड बारां	बारां	M	05/07/1968	लेवल-1
22	उमा नागर	बारां	रा.उ.मा.वि. स्टेशनरोड बारां	राउमावि स्टे. रोड बारां	बारां	F	02/06/1961	लेवल-1
23	मनोरमा गुप्ता	बारां	रा.उ.मा.वि. स्टेशनरोड बारां	राउमावि स्टे. रोड बारां	बारां	F	16/12/1965	लेवल-1
24	बृजमोहन खंगार	शाहाबाद	राउमावि देवरी	राउमावि देवरी	शाहाबाद	M	15/04/1971	लेवल-1
25	अब्दुल अजीज	अन्ता	राउमावि अन्ता	राउमावि अन्ता	अन्ता	M	25/01/1960	लेवल-1
26	गीता गहलोत	अन्ता	राउमावि अन्ता	राउमावि अन्ता	अन्ता	F	11/12/1958	लेवल-1
27	हरदेव धर्मा	अन्ता	राउमावि अन्ता	राउमावि अन्ता	अन्ता	M	05/06/1972	लेवल-1

जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

### कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उनके कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद पर यथावत समायोजन/पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. यह आदेश एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अधधीन है।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

( पाचूराम सेनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/चश्रेकर्म.यथा-समायोजन/2017/ 710 दिनांक: 29.05.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


( पाचूराम सेनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जिशाअ/मा/बारां/संस्था-1/यथा-समायोजन/चतुर्थश्रेणीकर्म/2017/790 दिनांक : 29.05.2017

क्र.स.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि
1	शाहिदा बानो	छबडा	राबाउमावि छबडा	राबाउमावि छबडा	छबडा	F	01/09/1965
2	जमनालाल सेन	अन्ता	राउमावि मांगरोल	राउमावि मांगरोल	अन्ता	M	12/01/1964

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) का उनके कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित लेवल व विषय के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर यथावत समायोजन/पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
5. यह आदेश एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन है।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ.यथा-समायोजन/ले-ग सामाजिक/2017/दिनांक: 29.05.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/यथा-समायोजन/सामाजिक विज्ञान/2017/789 दिनांक : 29.05.2017

क्र.स.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-II	विषय
1	सुशिला खत्री	बारां	राबाउमावि बारां	राबाउमावि बारां	बारां	F	15/07/1960	लेवल-II	सामाजिक
2	उर्मिला शर्मा	किशनगंज	बाउमावि भंवरगढ	राबाउमावि भंवरगढ	किशनगंज	F	15/05/1968	लेवल-II	सामाजिक
3	सुमन भार्गव	छबडा	राबाउमावि छबडा	राबाउमावि छबडा	छबडा	F	15/08/1968	लेवल-II	सामाजिक

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) का उनके कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित लेवल व विषय के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर यथावत समायोजन/पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. यह आदेश एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन है।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ.यथा-समायोजन/ले-11 अग्रेजी/2017/ह/88 दिनांक: 29.05.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


( पांचूराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां  
आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/यथा-समायोजन/अग्रेजी/2017/788

दिनांक : 29.05.2017

क्र.स.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-II	विषय
1	पुनीत कौर	अन्ता	राउमावि सीसवाली (प्रतिनियुक्ति एसएसए कोटा)	राउमावि सीसवाली	अन्ता	F	27/11/1977	लेवल-II	ENGLISH
2	सुनिता पंढरी	अन्ता	राउमावि रातडिया	राउमावि रातडिया	अन्ता	F	28/11/1977	लेवल-II	ENGLISH

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) का उनके कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित लेवल व विषय के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर यथावत समायोजन/पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. यह आदेश एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन है।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

( पांचूराम सेनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ.यथा-समायोजन/ले-1 हिन्दी/2017/787 दिनांक: 29.05.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

( पांचूराम सेनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

कमांक.-जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/यथा-समायोजन/हिन्दी/2017/787 दिनांक : 29.05.2017

क.स.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-II	विषय
1	सावित्री शर्मा	बारां	राबाउमावि बारां	राबाउमावि बारां	बारां	F	13/07/1963	लेवल-II	HINDI
2	हुमा खान	छबडा	राबाउमावि छबडा	राबाउमावि छबडा	छबडा	F	14/09/1972	लेवल-II	HINDI
3	उषा शर्मा	किशनगंज	बाउमावि नाहरगढ	राबाउमावि नाहरगढ	किशनगंज	F	14/11/1977	लेवल-II	HINDI
4	श्रीमती राकेश शर्मा	बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	राउमावि कोटा रोड बारां	बारां	F	31/08/1969	लेवल-II	HINDI
5	कैलाशप्रसाद नागर	अन्ता	राउमावि मांगरोल	राउमावि मांगरोल	अन्ता	M	19/06/1970	लेवल-II	HINDI
6	तारा साहू	बारां	रा.उ.मा.वि. स्टेशनरोड बारां	राउमावि स्टे. रोड बारां	बारां	F	21/10/1972	लेवल-II	HINDI

जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां